JALAUN POLICE

दिनांक – 03.05.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप हत्या अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्ता को आजीवन कारावास एवं 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण – अभियुक्ता प्रतिमा पत्नी महेन्द्र सिंह नि0 ग्राम छिरावली थाना कोटरा जनपद जालौन द्वारा वादी की दो पुत्रियों (माही उम्र करीब 04 वर्ष और रोशनी उम्र करीब 10 माह) की गला दबाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में वादी महेन्द्र सिंह पुत्र कुवंर लाल नि0 ग्राम छिरावली थाना कोटरा जनपद जालौन की तहरीर के आधार पर थाना कोटरा में दिनांक 29.08.2020 को मु0अ0सं0 51/2020 (वाद संख्या 41/20) धारा 302 भादवि बनाम प्रतिमा पत्नी महेन्द्र सिंह नि0 ग्राम छिरावली थाना कोटरा जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था। दिनांक 30.08.2020 को अभियुक्ता को गिरफ्तार कर विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए विवेचना पूर्ण कर अभियुक्ता उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 24.09.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 03.05.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे ईसी एक्ट कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्ता प्रतिमा उपरोक्त को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।